Annexure - LXV

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

संख्या – 3762 / 114 / उ0सू0आ. / मु0सू0आ0 / 2007 दिनांक : 9 अगस्त, 2007

प्रेषक,
सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग।

सेवा में,
समस्त राज्य स्तरीय,
निदेशालय / मुख्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषय– द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्मिकों के प्रशिक्षण के संबंध में की गई संस्तुंति।

महोदय,

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने संस्तुति की है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सुचना अधिकारियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड पर मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से एक वर्ष में एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक कार्मिक के लिए होना चाहिए। कृपया उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के संबंध में निम्न व्यवस्था अपने स्तर से करने का कष्ट करें–

2. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक विकास खण्ड में विकेन्द्रित रूप से प्रत्येक कार्मिकों को दिया जाना है। इस हेतु राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग को अपने स्तर से कार्यवाही की जानी है।

3. जहां विभाग द्वारा अपने कार्मिकों के लिए तीन दिवसीय अथवा सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हों, उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना का अधिकार अधिनियम पर क्रमशः आधा घण्टा अथवा एक घण्टे का प्रशिक्षण भी अवश्य शामिल किया जाय।

इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के कार्यालय पत्र संख्या 17014 / 1 / 2007 दिनांक 13.07.2007 से प्राप्त निर्देशों को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव